कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, एवं पदेन निदेशक सर्वे भू अभिलेख (डीआईएलआरएमपी) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / भूप्रआ / एस.एम. / आर.आर / 11 / 2 / 10 / 13 / पार्ट–II / दिनांकः

भू प्रबन्ध अधिकारी,
बीकानेर, भीलवाडा,जयपुर
जोधपुर,कोटा,टोंक,उदयपुर।

विषयः– डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत अधिसूचना धारा 106,108 के सम्बन्ध में।
संदर्भः– राजस्व ग्रुप–1 विभाग का पत्रांक प.13(9)राज / ग्रुप–1 / 2014 दिनाक 21.03.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 106, 108 के अन्तर्गत 10 जिलों की 105 तहसीलों की अधिसूचना दिनांक 21.03.2017 प्रसारित कर भिजवाई है।

अतः अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

ह०
(डा. कुन्ज बिहारी पण्ड्या)
भू–प्रबन्ध आयुक्त, एवं
पदेन निदेशक
सर्वे भू अभिलेख (DILRMP)
राजस्थान, जयपुर

कमांक / फा / समसख्यक / 806 – 814 दिनांक :– 31-3-17

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी, डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठ मुख्यालय जयपुर को अधिसूचना की छाया प्रतियां संलग्न कर लेख है कि नियमानुसार समय पर सर्वे / रिसर्वे कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु वांछित दिशा निर्देश / प्रशासनिक स्वीकृति जारी करावें।
2. जोन प्रभारी सर्वे / रिसर्वे प्रकोष्ठ जोन जोधपुर बी, बीकानेर बी, उदयपुर,अजमेर,कोटा,जयपुर मुख्यालय जयपुर संलग्न प्रतिया।
3. प्रभारी, आरबीएएएस मुख्य कार्यालय जयपुर संलग्न प्रतिया।
4. प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को संलग्न छाया प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भू–प्रबन्ध आयुक्त, एवं
पदेन निदेशक
सर्वे भू अभिलेख (DILRMP)
राजस्थान, जयपुर

146

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः 13(9)राज./ग्रुप–1/2014

जयपुर, दिनांकः 21 MAR 2017

–ःअधिसूचनाः–

Sm'
858
24/3/17

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा की समस्त तहसीलों (संलग्न सूची अनुसार) के समस्त ग्रामों का डि–नोवो आपरेशन डिजीटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अन्तर्गत हाई रेजोलेशन सैटेलाईट इमेजरी (एचआरएसआई) व डीजीपीएस/ईटीएस की सहायता से जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर डिजीटल सर्वे/रीसर्वे (स्पेशल डाटा) एवं नया डिजीटल भू–अभिलेखन तैयार करने संबंधी कार्यवाही इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार सूची।

27 MAR 2017
क्रमांक 253

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

RR/DILRMP
27/3/2017

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कुलक्टर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमन्द, भीलवाड़ा।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक, सर्वे–अभिलेख (एसएलआर–डीआईएलआरएमपी), राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक पं. भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 10 / 2 / 2013 / 334 दिनांक 31.01.2017 के कम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर/अलवर/बीकानेर/भीलवाड़ा/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/सीकर/टोंक/उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/38
27/3/17

147
(115
~~212~~

DILRMP के अन्तर्गत सर्वे/री–सर्वे एवं भू–अभिलेखन हेतु अधिसूचित होने वाली तहसीलें एवं अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सूची :–

क.सं.	नाम जिला	क.सं.	तहसील	अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	भीलवाडा	1	सहाडा	भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा
		2	रायपुर	
		3	शाहपुरा	
		4	फूलियाकलां	
		5	आसीन्द	
		6	बदनौर	
		7	बनेड़ा	
		8	हुरड़ा	
		9	माण्ड़ल	
		10	करेड़ा	
		11	माण्ड़लगढ़	
		12	जहाजपुर	
		13	बिजौलिया	
		14	भीलवाड़ा	
		15	हमीरगढ़	
		16	कोटडी	
2.	बाड़मेर	17	बाड़मेर	भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर
		18	शिव	
		19	गड़रा रोड़	
		20	पचपदरा	
		21	शिवाना	
		22	समदडी	
		23	चौहटन	
		24	सेड़वा	
		25	गुढ़ामालानी	
		26	सिणधरी	
		27	धोरीमन्ना	
		28	रामसर	
		29	बायतू	
		30	भिण्डा	
3.	टोंक	31	उनियारा	भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक
		32	देवली	
		33	दूनी	
		34	टोड़ारायसिंह	
		35	पीपलू	
		36	टोंक	
		37	मालपुरा	
		38	निवाई	

4.	जयपुर	39	चौमू	भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर
		40	सांगानेर	
		41	कोटखावदा	
		42	कोटपूतली	
		43	विराटनगर	
		44	आमेर	
		45	शाहपुरा	
		46	मौजमाबाद	
		47	दूदू	
		48	जयपुर	
		49	फागी	
		50	फुलेरा	
		51	किशनगढ़ रेनवाल	
		52	बस्सी	
		53	जमवारामगढ़	
		54	चाकसू	
5.	राजसमन्द	55	आमेट	भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर
		56	कुम्भलगढ़	
		57	रेलमगरा	
		58	राजसमन्द	
		59	नाथद्वारा	
		60	भीम	
		61	देवगढ़	
		62	खमनौर	
		63	गढ़बोर	
6.	बांसवाड़ा	64	घाटोल	भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर
		65	गनोड़ा	
		66	बागीदौरा	
		67	आनन्दपुरी	
		68	गांगड़तलाई	
		69	गढ़ी	
		70	बांसवाड़ा	
		71	छोटीसरवन	
		72	अम्बापुरा	
		73	कुशलगढ़	
		74	सज्जनगढ़	
7.	झालावाड़	75	पिड़ावा	भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा
		76	गंगधार	
		77	पचपहाड़	
		78	अकलेरा	
		79	खानपुर	
		80	झालरापाटन	
		81	असनावर	
		82	मनोहरथाना	

8.	हनुमानगढ़	83	हनुमानगढ़	भू–प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर
		84	नोहर	
		85	भादरा	
		86	रावतसर	
		87	संगरिया	
		88	टिब्बी	
		89	पीलीबंगा	
9.	श्रीगंगानगर	90	अनूपगढ़	
		91	रायसिंहनगर	
		92	सूरतगढ़	
		93	श्रीगंगानगर	
		94	करणपुर	
		95	पदमपुर	
		96	विजयनगर	
		97	घड़साना	
		98	शार्दुलशहर	
10.	चुरू	99	चुरू	भू–प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर
		100	रतनगढ़	
		101	सुजानगढ़	
		102	बीदासर	
		103	राजगढ	
		104	तारानगर	
		105	सरदारशहर	

145

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 13(9)राज./ग्रुप–1/2014 जयपुर, दिनांकः 21 MAR 2017

–:अधिसूचना:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा की समस्त तहसीलों के समस्त ग्रामों में (धारा–106 के संलग्न सूची में वर्णित अनुसार) अधिसूचित पूर्ण सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख संक्रियाओं को डिजीटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के उद्देश्यों की क्रियान्विति हेतु स्थाई अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त नहीं होने के कारण निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु (धारा–106 के संलग्न सूची के कॉलम संख्या–5 में वर्णित अनुसार) अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

27 MAR 2017
252

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमन्द, भीलवाड़ा।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक, सर्वे–अभिलेख (एसएलआर–डीआईएलआरएमपी), राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक पं. भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 10 / 2 / 2013 / 334 दिनांक 31.01.2017 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर/अलवर/बीकानेर/भीलवाड़ा/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/सीकर/टोंक/उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव